अध्याय-4 लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यों में पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन पर एक अवलोकन प्रदान करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक कुशल आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ समयबद्धता और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता कुशल शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी और परिचालित है, तो सामरिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 राज्य के लोक लेखा अथवा समेकित निधि के अलावा कोष

4.1.1 नियामक

संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में नियामक प्राधिकरण 'राज्य' हैं। उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा धन 'सरकार की ओर से' कार्य के निर्वहन के कारण है। इसलिए, उनकी निधियों को भारत/ राज्य के लोक लेखे में रखा जाना चाहिए। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के कानून मंत्रालय की निर्धारित स्थिति है।

उत्तराखण्ड राज्य में दो नियामक प्राधिकरण अस्तित्व में हैं, नामतः उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग तथा उत्तराखण्ड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण, जिनकी स्थिति नीचे तालिका-4.1 में दी गई है।

तालिका-4.1: नियामकों और निधियों का विवरण

क्र. सं.	नियामक प्राधिकरण का नाम	शासन पर बकाया राशि		
1.	उत्तराखण्ड विद्धुत	निधि का रख-रखाव किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक	सरकार पर कोई धनराशि	
	नियामक आयोग	में किया जाएगा और ऐसे बैंकों की अन्य	बकाया नहीं है।	
		शाखाओं में सहायक लेखों का रख रखाव किया		
		जाएगा। कोष में लाइसेंस शुल्क, याचिका शुल्क,		
		प्रसंस्करण शुल्क, अर्थ दंड और प्राप्तियाँ		
		समिलित होंगी।.		
2.	उत्तराखण्ड भू-संपदा		सरकार पर कोई धनराशि	
	नियामक प्राधिकरण	उपरोक्तानुसार	बकाया नहीं है।	

4.2 विभागों की स्पष्ट देयताओं को सम्मिलित नहीं करना

31 मार्च 2022 तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के तहत चिकित्सा विभाग पर दवा खरीद एवं अस्पताल के टाई-अप बिलों की ₹ 182.28 करोड़ की आस्थगित देनदारी थी, जिसका विवरण तालिका-4.2 नीचे में दिया गया है।

तालिका-4.2: वित्तीय वर्ष के दौरान स्पष्ट देनदारियों को शामिल न करना

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग का नाम देयता के कारण			
1.	चिकित्सा विभाग (ईएसआईएस)	अस्पताल दवा खरीद एवं अस्पताल के टाई-अप बिल	182.28		
		योग	182.28		

4.3 ब्याज सिहत आरिक्षित निधियों व जमाओं के ब्याज के सम्बंध में देनदारियों का निर्वहन नहीं किया जाना

ब्याज सिहत आरिक्षत निधियों व जमाओं (लेखों के मुख्य लेखा शीर्ष -8342) में धनराशि पर ब्याज की व्यवस्था करना और भुगतान करना सरकार की एक देयता है। इस संबंध में देयता के निर्वहन न किए जाने का विवरण निम्न तालिका-4.3 में दिया गया है:

तालिका-4.3: ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्याज युक्त आरक्षित निधियों व जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2021 को शेष राशि	ब्याज दर	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
1.	ब्याज युक्त आरक्षित निधि एसडीआरएफ)एवं कैम्पा सहित(3,343.45	4.00 <i>प्रतिशत</i> डब्लू एवं एम की ब्याज दर का औसत	133.74
2.	ब्याज युक्त जमा सी पी एस मु. शी. (8432-117 को छोड़कर)	321.69	4.00 <i>प्रतिशत</i> डब्लू एवं एम की ब्याज दर का औसत	12.87
3.	एनपीएस के तहत अहस्तांतरित राशि (117-8342)	139.20	सरकार द्वारा 7.10 <i>प्रतिशत</i> अधिसूचित / जी. पी. एफ. को देय	9.88
	योग	3,804.34		156.49

स्रोतः उत्तराखण्ड सरकार के 2021-22 के वित्त लेखे।

राज्य सरकार को वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज युक्त आरक्षित एवं जमा राशि के प्रारंभिक शेष पर 4.00 प्रतिशत और 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रावधान करने की आवश्यकता थी। हालांकि, सरकार ने वर्ष के दौरान इन जमाओं पर ₹ 156.49 करोड़ का आवश्यक प्रावधान नहीं किया। इसलिए, इसने उस सीमा तक राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित किया।

4.4 क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है। ये स्थानान्तरण वित्त लेखों के खंड-॥ के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किए गए हैं।

कंद्र प्रायोजित योजनाओंअतिरिक्त केंद्रीय सहायता/ के अर्न्तगत दी जाने वाली समस्त सहायता को क्रियान्वयन एजेंसियों को अवमुक्त न कर सीधे राज्य सरकार को दिये जाने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई। चूँकि ये धनराशि राज्य बजट के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाती है, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। महालेखानियंत्रक के सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल के अनुसार, भारत सरकार ने 2021-22 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड में 106 योजनाओं के अंतर्गत 298 क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 4,825.65 करोड़ हस्तांतरित किए। क्रियान्वयन एजेंसियों को धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2020-21 में ₹ 4,056.80 करोड़ से 18.95 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,825.65 करोड़ हो गया है। कुछ प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियों के नाम जिन्हें 2021-22 के दौरान भारत सरकार से सीधे धन प्राप्त हुआ था, नीचे तालिका-4.4 में दर्शाएं गये हैं।

तालिका-4.4: क्रियान्वयन एजेंसियों के नाम जिन्होंने 2021-22 के दौरान भारत सरकार से सीधे धनराशि (₹ 50 करोड़ से अधिक) प्राप्त की

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2021-22 के दौरान जारी की गई धनराशि
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की अंतर्राज्यीय आवाजाही तथा राशन विक्रेताओं के मार्जन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड	67.19
2.	रा खा सु अधि के तहत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड	1554.43
3.	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ - उत्तराखंड लिमिटेड	62.60
4.	जल जीवन मिशन .एम.जे.जे))/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एस डब्ल्यू एस एम उत्तराखंड, देहरादून	721.90
5.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	505.98
6.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, उत्तराखंड	547.62
7.	प्रधान मंत्री स्वस्थ्य सुरक्षा योजना	एम्स ऋषिकेश	644.26
8.	स्वामीत्व	सर्वे ऑफ इंडिया, उत्तराखंड लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण सोसायटी	131.49

क्र.सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2021-22 के दौरान जारी की गई धनराशि
9.	सीजन के लिए चीनी 20-2019मिलों को सहायता हेतु योजना	उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, द बाजपुर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड।	75.33
10.	उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतरराष्ट्रीय व आंतरिक परिवहन और माल ढुलाई की लागत सहित विपणन लागत पर खर्च के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने की योजना।	उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, द बाजपुर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड।	75.90
	योग		4,386.70


क्रियान्वयन एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान सीधे हस्तांतरित धनराशि का समग्र विवरण तालिका4.-5 में प्रदर्शित है।

तालिका-4.5: राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित धनराशि

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित धनराशि <i>(₹ करोड़ में)</i>	2,304.31	4,056.80	4,825.65

क्रियान्वयन एजेंसियों की श्रेणी जिन्होंने भारत सरकार से 20212-2 के दौरान विभिन्न विकासत्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सीधे धनराशि प्राप्त की तथा उस धनराशि की मात्रा का विवरण चार्ट-4.1 में दिया गया है।

चार्ट-4.1: क्रियान्वयन एजेंसियों की श्रेणी जिन्होंने भारत सरकार से 20212-2 के दौरान सीधे धन प्राप्त किया



स्रोतः 2021-22 के लिए पी एफ एम एस डाटा।

4.5 स्थानीय निधियों में जमा

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (खंड 40, 80 और 119) के अनुसार पंचायत निकाय निधि शासकीय कोषागार और उप कोषागार अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक और डाक घर में रखी जाएगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (खंड 115) जिसे उत्तराखण्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है, के अनुसार भी नगर निगम निधियाँ, (यू.एल.बी. के लिए) शासकीय कोषागार अथवा उप कोषागार अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी। यू.एल.बी. ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से जबिक पी.आर.आई. राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से संचालित हो रहे हैं।

तालिका-4.6: स्थानीय निधि में जमा

(₹ करोड़ में)

		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	प्रारम्भिक शेष	14.62	14.62	14.79	14.79	14.79
पंचायत निकाय	प्राप्ति	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
निधि	व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8448-109)	अंतिम शेष	14.62	14.79	14.79	14.79	14.79
	<i>प्रतिशत</i> उपयोगिता	0	0	0	0	0
	प्रारम्भिक शेष	66.15	236.59	340.59	441.61	495.41
नगर पालिका निधि	प्राप्ति	728.37	711.61	835.76	941.81	660.00
(8448-102)	व्यय	557.93	607.61	734.74	888.01	943.86
	अंतिम शेष	236.59	340.59	441.61	495.41	211.56
	<i>प्रतिशत</i> उपयोगिता	70.22	64.08	62.46	64.19	81.69

. स्रोतः महानेखाकार (नेखा एवं हक) उत्तराखण्ड दवारा तैयार किया गया वित्त नेखा 2021-221

जैसा कि ऊपर दी गई **तालिका-4.6** से स्पष्ट है, पंचायत निकाय कोष 2017-18 से लगभग निष्क्रिय है। हालाँकि, नगरपालिका कोष संचालन में है और 31 मार्च 2022 तक इसमें ₹ 211.56 करोड़ का समग्र शेष है। इसके अलावा, नगरपालिका कोष में *प्रतिशत* उपयोग 2017-18 से 2019-20 तक घट रहा है। 2019-20 में धनराशि का उपयोग 62.46 *प्रतिशत*, 2020-21 में 64.19 *प्रतिशत* था। हालांकि, वर्ष के दौरान उपयोगिता प्रतिशत में 17.50 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और यह 81.69 *प्रतिशत* थी।

4.6 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्त्त करने में विलम्ब ¹

उत्तराखण्ड वित्तीय नियमों के प्रस्तर 369-सी सी (ए) में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए अनुदानों के लिए, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) विभागीय अधिकारियों द्वारा इस रुप में प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसािक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सहमति दी गई है और इसे अनुदानों की स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, महालेखाकार (लेखा और हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

_

¹ अनुदान नियंत्रक अधिकारियों से वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 4,018.23 करोड़ (पूंजीगत परिसंपित्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान = ₹ 706.10 करोड़ और वेतन के अतिरिक्त सहायक अनुदान ₹ 3,312.13 करोड़) के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे।

मार्च, 2022 तक ₹ 2,571.00 करोड़ के कुल 622 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के संबंध में आय्-वार स्थिति को तालिका-4.7 में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.7: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारमि	भक शेष	परिवर्धन		निकासी		प्रस्तुत करने के लिए देय	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2019-20 तक	119	353.33	149	1537.25	67	253.89	201	1,636.69
2020-21	201	1,636.69	338	1,016.32	82	764.04	457	1,888.97
2021-22	457	1,888.97	301*	1,180.92	136	498.89	622	2,571.00

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड।


* उनको छोड़कर जिसमे स्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट किया हो, 2021-22 के दौरान निकाले गए सहायता अनुदान की उ प्र केवल 2022-23 में देय होती है।

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2022 तक जमा करने के योग्य 321 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए, जिसके लिए विशिष्ट उद्देश्यों हेतु मार्च 2021 तक ₹ 1390.08 करोड़ की धनराशि दी गई थी। उपरोक्त में से, ₹ 505.00 करोड़ की धनराशि वाले 79 उपयोगिता प्रमाणपत्र अगस्त 2022 तक प्राप्त हुए थे। सभी लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, पंचायती राज संस्थानों/शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थे। 31 मार्च 2022 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्षवार विवरण नीचे तालिका-4.8 में दिया गया है।

तालिका-4.8: 31.03.2022 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्षवार विवरण

वर्ष जिस में सहायता अनुदान स्थानातरित किया गया	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	धनराशि <i>(₹ करोड़ में</i>)
2019-20 तक	08	20.82
2020-21	39	384.86
2021-22	274	984.40
योग	321	1390.08

उपयोगिता प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए ये स्वीकृत किए गए थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र का लंबित होना, निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ था। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त ने अवगत कराया कि उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुवीक्षण में सुधार हुआ है। अधिकतम बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं। इस संबंध में सचिव वित्त ने उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा 50 लाख एवं अधिक मूल्य के गैर-वेतन अनुदानों के शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुवीक्षण करने का आश्वासन दिया।



4.6.1 अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में दर्ज करना

कुछ राज्यों में सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड देने का एक तंत्र है। ये अनुदान कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की वी एल सी प्रणाली में भी दर्ज किए जाते हैं और प्रत्येक संस्थान के बकाया धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र की निगरानी की जाती है। इस प्रणाली को काम करने के लिए, अनुदानग्राही संस्थान को ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। उचित कोड के अभाव में, प्रत्येक संस्थानों के सापेक्ष बकाया धनराशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 228 के अनुसार, यदि अनुदान सहायता राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो यह आवश्यक है कि सरकार लेखों की पारदर्शिता के लिए अनुदानग्राही संस्था के विवरण और प्रकृति प्रदान करे।

4.7 सार आकस्मिक बिल

वर्ष 2021-22 तक आकस्मिक बिलों (ए सी) के सापेक्ष लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी सी) का वर्षवार विवरण तालिका4.-9 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.9: ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिलों के जमा करने में विलम्ब

(₹ करोड़ में)


नर्ष	वर्ष प्रारम्भिक शेष परिवर्धन निकासी		अंतिम शेष					
qq	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2019-20 तक	10	0.56	61	6.03	34	3.58	37	3.01
2020-21	37	3.01	78	5.67	38	5.24	77	3.44
2021-22	77	3.44	321	93.46	155	69.57	243	27.33

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा संकलित सूचना।

तालिका-4.9 से पता चलता है कि 2021-22 के दौरान ₹93.46 करोड़ की धनराशि के लिए 321 ए सी बिल आहरित किए गए तथा ₹69.57 करोड़ की धनराशि के लिये 155 डी सी सी बिलों को वर्ष

के दौरान प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2022 तक ₹ 27.33 करोड़ के 243 ए. सी. बिल बकाया थे। बकाया 243 ए सी बिलों में ₹ 0.20 करोड़ की धनराशि के तीन बिल 2020-21 से संबंधित थे तथा ₹ 27.13 करोड़ की धनराशि के 240 बिल 2021-22 से संबंधित थे। हालाँकि, 31 अगस्त 2022 तक ₹ 8.27 करोड़ की राशि के 125 डी सी सी बिल प्राप्त हुए।

सभी विभागों से संबन्धित लंबित डी सी सी बिलों की स्थिति को चार्ट-4.3 में दिया गया है।



चार्ट-4.3 बकाया डी.सी.सी. बिल

आहरित किये गये अग्रिम जो लेखाबद्ध नहीं किये गए हों अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुष्कृत्य की संभावना को बढ़ाते हैं इसलिए, डी सी सी बिल जमा हो यह ही सुनिश्चित करने के लिए कड़े अनुवीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, डी सी सी बिलों की अप्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4.7.1 स्वयं के खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ

डीसी बिलों के अनुवीक्षण का उद्देश्य निधि के अंतिम निष्पादन के आश्वासन की जांच करना है क्योंकि एसी बिलों के माध्यम से केवल निधि के अंतिम उपयोग के लिए किसी प्राधिकरण को पैसा हस्तांतरित किया जाता है। यह बिल निधि के व्यय से संबंधित किसी दस्तावेज/सहायक वाउचर से सर्मथित नहीं होते हैं। इसी तरह जिन मामलों में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के बैंक खाते में धन हस्तांतरित किया गया था या निर्माण कार्य आदि के लिए किसी कार्यदायी संस्था को दिया गया था, वे भी केवल धन के हस्तांतरण से संबंधित हैं और निष्पादन से संबंधित किसी भी दस्तावेज/ सहायक वाउचर के साथ समर्थित नहीं हैं। इस प्रकार, इन निधियों का अनुवीक्षण करना भी अपेक्षित हैं। 2021-22 के दौरान दर्ज किए गए ऐसे व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-4.10: स्वयं के खाते और कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित की गई धनराशि

(₹ करोड में)

विवरण	2021-22
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं के खाते में हस्तांतरित	2,464.59
कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित	8,252.84
योग	10,717.43

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, एसी बिल के माध्यम से केवल ₹ 27.33 करोड़ आच्छादित हैं, जिसका अनुवीक्षण किया जा रहा है, जबिक स्वयं के खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ, ₹ 10,717.43 करोड़ वर्ष 2021-22 में आच्छादित हैं। निधि के अंतिम उपयोग के आश्वासन के अभाव में व्यय की इतनी बड़ी राशि नज़र अंदाज़ नहीं की जा सकती है।

4.8 व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए सरकार संचित निधि से धन हस्तांतरित कर धन जमा करने के लिए सरकार व्यक्तिगत जमा (पी डी) खाते खोलने के लिए अधिकृत है। वित्तीय नियम पुस्तिका भाग-5 (भाग-1) के प्रस्तर 340(ब)(2) के प्रावधान विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत करता है। हालांकि, निधियों की निकासी, जब तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो, तय होगी और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा के लिए सरकारी लेखे से धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा, बजट अनुदान के कालातीत होने से बचने और इस तरह के धन को लोक लेखे में या बैंक के पास जमा करने की दृष्टि से धन निकालने की प्रथा वर्जित है। 2021-22 के अंत में, 45 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 188.07 करोड़ की अनपेक्षित शेष धनराशि राज्य के संचित निधि में अहस्तांतरित रही। 2021-22 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति को तालिका-4.11 में दिया गया है।

तालिका-4.11: 20212-2 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों (106-8443 मुख्य शीर्ष)की स्थिति

(₹ करोड में)

प्रारम्भि	क शेष	वर्षके ट	वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान बंद अंतिम		वर्ष के दौरान बंद		तिम शेष
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
45	155.53	01	360.02	01	327.48	45	188.07*

कुल व्यक्तिगत लेखे एवं इन लेखों की राशि वित्त लेखों के आंकड़ों से भिन्न है।

निम्न तालिका में वित्त वर्ष 2017-22 के दौरान अंतिम दिन को 8443-106 जिला अधिकारी, देहारादून के व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी धनराशि की स्थिति दी गई है।

तालिका-4.12: 2017-18 से 2021-22 के दौरान डी.एम. देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में धन का पडा रहना
(₹ करोड में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पी डी ए में रखी धनराशि	93.59	98.36	96.18	97.68	97.68

राज्य में 31 मार्च 2022 तक ₹ 188.07 करोड़ के अंतिम शेष के साथ 45 व्यक्तिगत जमा खाते थे। जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून के एक व्यक्तिगत जमा खाते से संबंधित ₹ 97.68 करोड़ (51.94 प्रतिशत) की राशि थी। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पूर्व अनुमोदन के बाद खाता संचालित किया जा रहा था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के अंत में इसे बंद करने की आवश्यकता थी और शेष राशि संचित निधि में हस्तांतरित करनी थी। यह भी पाया गया कि डी एम, देहरादून के पी एल ए में जमा राशि राज्य सरकार के अन्य विभागों के उपयोग के लिए थी, जैसे राज्य संपदा विभाग (₹ 67.37 करोड़), विधान सभा (₹ 1.30 करोड़), खेल विभाग (₹ 10.00 करोड़) और उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय विभाग (₹ 5.13 करोड़) तथा यह तीन वर्षों से अधिक समय से अनुपयोगी पड़े थे। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस लेखे से ₹ 3.95 करोड़ खर्च किए गए थे, और ₹ 1.76 करोड़ इस खाते में स्थानांतरित किए गए थे। व्यक्तिगत जमा लेखों में पड़ी हुई राशियाँ परिणाम स्वरूप व्यय को उस सीमा तक अधिक दर्शाती है। व्यक्तिगत जमा लेखों का समय-समय पर मिलान न करना और व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी बकाया शेष राशि को संचित निधि में हस्तांतरित नहीं करना सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दूर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त ने अवगत कराया कि हाल ही में 4 जनवरी 2023 को तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खातों के निपटान/बंद करने के संबंध में एक सरकारी आदेश (स आ) जारी किया गया है।

तालिका-4.13: डी. एम. देहरादून के अलावा शीर्ष पांच पीडीए/पीएलए धारक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसके नाम पर पी. डी. ए./ पी.एल. ए. स्वीकृत किया गया है।	कब से संचालित है।	अंतिम नवीनीकरण वर्ष	जमा धनराशि
1.	मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार	मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार	06/09/2021	2021-22	49.09
2.	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून	18/11/2014	2021-22	27.80
3.	पुलिस महानिरक्षक मुख्यालय, देहरादून	पुलिस महानिरक्षक मुख्यालय, देहरादून	27/02/2013	2021-22	6.43
4.	निदेशक शहरी विकास निदेशलय, साइबर ट्रेज़री	निदेशक शहरी विकास निदेशलय, साइबर ट्रेज़री	08/08/2011	2017-18	2.70
5.	जिलाधिकारी, हरिद्वार	जिलाधिकारी, हरिद्वार	14/07/2014	2017-18	1.73

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं ह.), उत्तराखंड।

उपरोक्त तालिका संख्या-4.13 में, डीएम देहरादून को छोड़कर, अन्य शीर्ष पांच पीडीए/पीएलए खाता धारकों का विवरण दिया गया है।

तालिका-4.14: सक्रिय/निष्क्रिय जमा खातों का विवरण

豖.	अंतिम नवीनीकरण वर्ष	पी डी लेखों	लेखों में रखी धनराशि	पी डी लेखों की संख्या
सं.	जातम मयामाकरण वर्ष	की संख्या	(लाख में)	जिनमें अवशेष शून्य है
1.	2012-13	1	00.00	1
1.	2013-14	8	18.00	7
2.	2014-15	7	0.00	7
3.	2015-16	5	0.00	5
4.	2016-17	4	0.00	4
5.	2017-18	3	4,45.54	0
6.	2018-19	2	2,21.57	1
7.	2019-20	7	97,67.81	6
8.	2020-21	4	259.09	1
9.	2021-22	4	83,31.32	1
	योग	45	19,043.32	33

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं ह.), उत्तराखंड (आई.एफ.एम.एस. डाटा)

कुल 45 व्यक्तिगत जमा खातों में से, 33 खातों में शेष राशि शून्य है। 24 व्यक्तिगत जमा खाते पाँच वर्ष से अधिक समय से तथा 01 व्यक्तिगत जमा खाता तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित था। सामान्य वित्तीय नियम के अन्सार, इन जमाओं के तहत रखी गई राशि को राज्य के संचित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था। शून्य शेष वाले खातों को वर्ष के अंत (31 मार्च 2022) में बंद नहीं किया गया था।

4.8.1 निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते

केन्द्रीय कोषागार देहारादून के असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण तालिका-4.15 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.15: केंद्रीय कोषागार देहारादून के असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते (8443-106 के इतर) (₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	पी डी ए धारक का नाम	अंतिम शेष	अंतिम लेन- देन की तिथि
1.	8443-00-800	एम डी/परिवहन निगम	100.00	29.02.2016
2.	8448-00-102	इ ओ/नगर निगम (13 एफ सी),देहरादून	1.02	31.03.2016
3.	8448-00-102	इ ओ/नगर पालिका परिषद (13 एफ सी), ऋषिकेश	0.09	27.01.2014
4.	8448-00-102	इ ओ/नगर पालिका परिषद (13 एफ सी), विकासनगर	0.09	17.07.2015
5.	8448-00-120	वि॰अ॰/बेसिक शिक्षा कोष देहरादून	11.04	26.10.2016
		112.24		

स्रोतः मुख्य कोषागार कार्यालय, देहरादून।

जैसाकि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, मार्च 2022 तक 8443-106 के इतर पाँच असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते थे, जिसमे ₹ 1.12 करोड़ शेष था। उत्तर प्रदेश व्यक्तिगत जमा खाता नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में लागू) के प्रस्तर 10 (2) के अनुसार, तीन वर्ष से अधिक समय तक असंचालित खातों को बंद किया जाना चाहिए और इन खातों के तहत जमा राशि को सरकारी खाते में जमा किया

जाना चाहिए। केंद्रीय कोषागार, देहरादून के पांच लेखों में से पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से किसी भी खातें में कोई लेन-देन नहीं किया गया था। इसलिए, सरकार के लेखे में ₹ 1.12 करोड़ की राशि जमा की जानी चाहिए थी।

4.9 लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल उन मामलों में संचालित किया जाना है, जहां लेखों में एक मुख्य शीर्ष के तहत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। यदि इस तरह के दृष्टांत नियमित रूप से होते हैं, तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ चर्चा करे और उचित लघु शीर्ष खोलने की स्वीकृति प्राप्त करे। लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्तियों और व्यय के अविवेकपूर्ण दर्ज करने से लेन-देन की पारदर्शिता और प्रकृति प्रभावित होती है, और खातों को अपारदर्शी बनाता है।

2021-22 के दौरान, 32 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,343.44 करोड़ की राशि, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 46,462.45 करोड़) का 2.89 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 46 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,223.56 करोड़, जो कुल प्राप्तियों (₹ 43,056.99 करोड़) का 2.84 प्रतिशत है, के लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। ऐसे दृष्टांत जहां वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियों और व्यय की महत्वपूर्ण राशि (20 प्रतिशत या अधिक और ₹ 5.00 करोड़ से अधिक) को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' और '800-अन्य व्यय' के तहत वर्गीकृत किया गया था, तालिका-4.16 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-4.16: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय में 2021-22 के दौरान दर्ज की गई महत्वपूर्ण धनराशि
(₹ करोड में)

	"8	00-अन्य प्रा	प्तियाँ"		"800-अन्य व्यय"			
क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	व्यय का प्रतिशतता
1.	0029-भू- राजस्व	39.88	11.05	27.71	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	37.76	36.18	95.82
2.	0049-ब्याज प्राप्तियाँ	403.55	359.92	89.19	2245-प्राकृतिक आपदाओं के राहत	1,297.58*	386.05	29.76
3.	0055- पुलिस	43.55	10.01	22.99	2425- सहकारिता	97.73	52.95	54.18
4.	0059- लोक निर्माण	46.27	18.62	40.24	2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	13.81	13.81	100.00
5.	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	85.93	70.08	81.55	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,050.80	590.48	56.19
6.	0071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वस्ली	61.56	10.05	16.33	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	73.80	64.45	87.33

	"8	00-अन्य प्रा	प्तियाँ"		"800-अन्य व्यय"			
क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	व्यय का प्रतिशतता
7.	0075-विविध सामान्य सेवाएँ	15.94	8.48**	53.20	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर प्ंजीगत परिव्यय	60.02	33.03	55.03
8.	0217-शहरी विकास	190.98	190.98	100.00	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	41.92	10.91	26.03
9.	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	31.57	31.57	100.00	4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	10.68	10.68	100
10.	0401- फसल वानिकी	6.81	5.06	74.30	-	-	-	-
11.	0406- वानिकी और वन्यजीव	511.55	128.13	25.05	-	-	-	1
12.	0425- सहकारिता	18.27	18.27	100.00	-	-	-	-
13.	0435- अन्य कृषि कार्यक्रम	74.05	74.05	100.00	-	-	-	-
14.	0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12.05	8.28	68.71	-	-	-	-
15.	0801-विद्युत	111.23	111.23	100.00	-	-	-	-
	योग	1653.19	1055.78	63.86	योग	<i>2684.10</i>	1198.54	44.65


स्रोतः महालेखाकार (ले एवं हक) द्वारा तैयार 2021-22 के वित्त लेखे।


- इसमें पिछले वर्ष से संबंधित ₹ 1,913.71 लाख की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति शामिल है।
- ** इसमें ऋण राहत/ऋण माफी से संबंधित ₹ 0.74 लाख की राशि शामिल है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वित्त, पुलिस, लोक निर्माण, शहरी विकास, समाज कल्याण, वन, कृषि तथा ग्रामीण विकास विभागों के 15 मुख्य शीर्षों से संबंधित प्राप्तियों का लगभग 63.86 प्रतिशत '800-अन्य प्राप्तियों' के तहत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार वाणिज्यिक कर, आपदा प्रबंधन, सहकारिता, ऊर्जा, लोक निर्माण, शहरी विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई एवं उद्योग विभाग के नौ मुख्य शीर्षों से संबंधित कुल व्यय का 44.65 प्रतिशत '800-अन्य व्यय" के तहत दर्ज किया गया था। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के तहत दर्ज की गई बड़ी धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता/ निष्पक्ष तस्वीर को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की ग्णवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सचिव वित्त ने अवगत कराया कि वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकतम मुख्य शीर्षों में सुधार किया गया है। आगे यह भी अवगत कराया कि भविष्य में लघु शीर्ष-800 के उपयोग को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल व्यय और प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में लघु शीर्ष 800-के संचालन की सीमा **चार्ट4.-4** और **चार्ट4.-5** में दी गई है।





4.10 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष

अ) उचन्त एवं प्रेषण शेष

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि को अलग-अलग शीर्षों के तहत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को मिलाकर किया जाता है। उचंत और प्रेषण शीर्ष की मंजूरी राज्य कोषागार/ निर्माण और वन प्रभाग आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत सकल आँकड़ों की स्थिति तालिका4.-17 में दी गई है।

तालिका-4.17: उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष

(₹ करोड में)

	201	9-20	202	n₋21	<i>(₹ कराड़ म)</i> 2021-22	
लघु शीर्ष का नाम		3-20 क्रेडिट				1-22 क्रेडिट
8658- उचन्त लेखे	3140	УПОС	3140	яльс	3140	y/ISC
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	54 71	3.61	115.24	23 40	189.52	89 34
निवल	(डेबिट)		(डेबिट)		(डेबिट)	
102- उचन्त लेखे (सिविल)	` '	411.83	, ,	379.40	289.18	386.82
निवल		154.52	(डेबिट)		(क्रेडिट)	
107- कैश सेटलमेंट उचन्त लेखे		885.52			99.71	
निवल	(डेबिट)	81.25	(डेबिट)	81.13	(डेबिट)	99.45
110- रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	214.67	219.61	214.67	219.61	221.31	219.61
निवल	(क्रेडिट)	4.94	(क्रेडिट	4.94	(डेबिट)	1.70
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस)	28.03	266.57	28.03	241.27	28.03	267.44
निवल	(क्रेडिट)	238.54	(क्रेडिट)	213.24	(क्रेडिट)	239.41
113- भविष्य निधि उचन्त	24.75	24.64	24.75	24.64	24.75	24.64
निवल	(डेबिट)	0.11	(डेबिट)	0.11	(डेबिट)	0.11
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेनदेन	18.12	17.94	18.12	20.33	18.12	20.33
निवल	(डेबिट)	0.18	(क्रेडिट	2.21	(क्रेडिट)	2.21
123- ए आई एस अधिकारी समूह बीमा योजना	0.29	0.53	0.32	0.57	0.34	0.61
निवल	(क्रेडिट)	0.24	(क्रेडिट	0.25	(क्रेडिट)	0.27
129 सामग्री खरीद निपटान उचन्त खाता	0.03	(-)0.73	0.03	(-) 0.73	0.03	(-)0.73
निवल	(डेबिट)	0.76	(डेबिट)	0.76	(डेबिट)	0.76
8782- नकद प्रेषण और अधिकारियों ने	बीच समायं	जिन उसी ले	खा अधिकारी	को लेखे प्रव	ान करना	
102- लोक निर्माण प्रेषण	296.13	372.74	296.13	372.74	296.13	372.70
निवल	(क्रेडिट)	76.61	(क्रेडिट)	76.61	(क्रेडिट)	76.57
103- वन प्रेषण	107.23	166.95	107.23	166.95	107.23	166.95
निवल	(क्रेडिट)	59.72	(क्रेडिट)	59.72	(क्रेडिट)	59.72
8793-अंतर्राज्यीय उच्चन्त लेखे	2087.89	2013.35	2095.05	2014.10	2083.81	2015.19
		74.54	(डेबिट)		(डेबिट)	68.62

म्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा तैयार किये गये वित्त लेखे 2021-221

उच्चन्त के तहत विभिन्न लघु शीर्षों के विश्लेषण की चर्चा नीचे की गई है:

वित्त लेखे 2021-22 में प्रदर्शित मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त लेखे के अंतर्गत लघु शीर्षों 101-पी ए ओ उचन्त, 102-उचन्त लेखा (सिविल) तथा 110-रिजर्व बैंक उचंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय के तहत उच्चन्त शेष (डेबिट/क्रेडिट) का विवरण निम्नवत हैं:

वेतन और लेखा कार्यालय-उचन्त (लघु शीर्ष 101): यह लघु शीर्ष केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालय व राज्यों के महालेखाकार (ले. एवं हक.) के तहत वेतन और लेखा कार्यालय (पी ए ओ) की पुस्तकों में होने वाले अंतर-विभागीय और अंतर-सरकारी लेनदेन के निपटान के लिए संचालित होता है। इस शीर्ष के तहत विगत वर्ष के अंत में ₹ 91.84 करोड़ के डेबिट बैलेंस के सापेक्ष बकाया शुद्ध डेबिट शेष (31 मार्च 2022) ₹ 100.16 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियाँ 32.04 प्रतिशत और संवितरण 67.96 प्रतिशत रहीं। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि अन्य पी ए ओ की ओर से पी ए ओ द्वारा भुगतान किया गया है, जो अभी वसूल किया जाना है। उचन्त लेखे-सिविल (लघु शीर्ष 102): ऐसे लेनदेन जिन्हें किसी निश्चित सूचना/दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष लेखो में प्रदर्शित नहीं कर सकते, उन्हें प्रारम्भ में इस उचंत शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान, ₹ 289.18 करोड़ (42.78 प्रतिशत) की राशि को लघु शीर्ष से बाहर रखा गया था और ₹ 386.82 करोड़ (57.22 प्रतिशत) की राशि को हस लघु शीर्ष के तहत दर्ज किया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2020-21 के डेबिट शेष ₹ 194.73 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2022 तक ₹ 97.64 करोड़ का क्रेडिट शेष बकाया था।

स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त-(लघु शीर्ष 112): इस लघु शीर्ष का उद्देश्य स्रोत पर काटे गए आयकर के लेखों की प्राप्तियों को समायोजित करना है। इन क्रेडिटों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजित एवं आयकर (आई टी) विभाग को क्रेडिट करना होता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 267.44 करोड़ (90.51 प्रतिशत) के क्रेडिट के सापेक्ष ₹ 28.03 करोड़ (9.49 प्रतिशत) की राशि लघु शीर्ष-112 से निर्गत की गई। इसका अर्थ है कि मार्च 2022 तक आई टी विभाग को ₹ 239.41 करोड़ की राशि निर्गत नहीं की गयी थी। हालाँकि, वर्ष 2021-22 के अंत में क्रेडिट शेष वर्ष 2020-21 (₹ 213.24 करोड़) की तुलना में अधिक था।

ब) मुख्य शीर्ष चैक और बिल्स

मु॰शी॰ 8670 चेक और बिल के तहत क्रेडिट शेष इंगित करता है कि चेक जारी किए गए है परंतु नकदीकरण शेष है। 01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष ₹ 357.19 करोड़ (क्रेडिट) था। 2021-22 के दौरान, ₹ 44,271.28 करोड़ के चेक जारी किए गए, जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान ₹ 44,278.74 करोड़ का नकदीकरण किया गया तथा 31 मार्च 2022 को अन्तिम अवशेष ₹ 349.73 करोड़ (क्रेडिट) रहा। अन्तिम शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के तहत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके परिणामस्वरुप उत्तराखंड सरकार से 31 मार्च 2022 तक कोई नकद बहिर्वाह नहीं हुआ है।

स) केंद्रीय सड़क निधि (के.स.नि.)

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को के सिक् के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। विद्यमान लेखा प्रक्रिया के अनुसार, अनुदानों को शुरू में

मुख्य शीर्ष "1601 सहायता अनुदान" के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष "8449-अन्य जमा-103 केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान" के राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष "3054 सड़कों एवं सेतु" के माध्यम से लोक लेखे में स्थानांतरित किया जाना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान की प्राप्ति के परिणामस्वरूप लेखों में राजस्व अधिशेष को बढ़ाकर या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दिखाया गया है। के.स.नि. के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर व्यय को पहले संबन्धित पूंजीगत या राजस्व व्यय अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के तहत लेखांकित किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8449 से संबन्धित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी प्रकरण हो) में 'घटाए व्यय' के रूप में की जाएगी।

वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क निधि से ₹ 98.80 करोड़ जारी किए, हालांकि, मुख्य शीर्ष 8449-103 के तहत मुख्य शीर्ष 3054 के माध्यम से राशि दर्ज करने की निर्धारित लेखा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया गया था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 5054-04-337 के तहत ₹ 230.46 करोड़ का व्यय किया जो कि केंद्रीय सड़क निधि से मुख्य शीर्ष 1601-06-104 में अनुदान के तहत प्राप्त राशि से ₹ 131.66 करोड़ अधिक था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को ₹ 98.80 करोड़ और राजकोषीय घाटे को ₹ 131.66 करोड़ तक बढाकर दर्शाया गया है। केंद्रीय सड़क निधि का लेखा-जोखा न होने के कारण केंद्रीय सड़क निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग में अस्पष्टता है।

द) ऋण एवं अग्रिम का प्रतिकूल शेष

वर्ष के दौरान लेखों में प्रदर्शित ऋण शेष नीचे दी गयी तालिका-4.18 में दिया गया है। तालिका-4.18 मुख्य शीर्ष 6851 और 7610 के अंतर्गत आने वाली ऋण शेष राशि।

(₹करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	ऋण शेष
6851	ग्राम्य एवं लघु उद्योग के लिए ऋण	(-) 0.18
7610	सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	(-) 20.25

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में ऋण दिए जाने तथा उत्तर प्रदेश के राज्य के विभाजन के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा वसूली किए जाने के परिणामस्वरूप यह ऋण शेष प्रदर्शित हो रहे है। चूंकि इन मुख्य शीर्ष के तहत अवशेष धनराशि आवंटित नहीं की गई है, इसलिए, शेष प्रतिकूल प्रदर्शित हो रहे हैं।


4.11 विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना

उत्तराखण्ड बजट नियमावली 2012 के प्रस्तर 109 के संदर्भ में, सभी नियंत्रक अधिकारियों को प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आँकड़ों के साथ सरकार के प्राप्तियों और

व्यय का मिलान करना आवश्यक है। यह नियंत्रण अधिकारी को खर्च पर प्रभावी नियंत्रण रखने और अपने बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, और उनके लेखों की सटीकता सुनिश्चित करता है।

व्यय के संबंध में 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु नि अ) में से 57 मु नि अ (91.94 प्रतिशत) (11 मु नि अ द्वारा पूर्णतः तथा 46 मु नि अ द्वारा अंशतः) के द्वारा ₹ 45,079.86 करोड़ व्यय (कुल व्यय ₹ 50,640.06 करोड़ का 89.02 प्रतिशतं)² तथा 48 मु नि अ में से 32 मु नि अ (66.66 प्रतिशतं) (03 मु नि अ द्वारा पूर्णतः तथा 29 मु नि अ द्वारा अंशतः) के द्वारा ₹ 48,540.27 करोड़ (कुल प्राप्ति ₹ 50,992.06³ करोड़ का 95.19 प्रतिशतं) की प्राप्तियों का मिलान कराया गया।

2019-20 से 20212-2 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति को **चार्ट4.-6** में दिखाया गया है।



विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण अधिकारियों की संख्या और मिलान की सीमा से संबंधित ब्यौरा तालिका-4.19 में दिया गया है।

138

² कुल व्यय₹ 50,640.06 करोड़ में ऋण और अग्रिम ₹ 347.46 करोड़ का संवितरण एवं ₹ 3830.15 करोड़ सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है।

³ कुल प्राप्तियों ₹ 50,992.06 करोड़ में ऋण और अग्रिम की वस्ली ₹ 17.08 करोड़ और सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति ₹ 7917.99 करोड़ शामिल है।

तालिका-4.19: प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति

(₹करोड में)

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण रूप से समायोजित	आंशिक रूप से समायोजित	बिल्कुल समायोजित नहीं	कुल प्राप्तियाँ/ व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की <i>प्रतिशतता</i>
			Ţ	ग्रप्तियाँ			
2019-20	48	06	31	11	30,722.57	29,287.77	95.33
2020-21	48	03	23	22	38,204.56	36,512.20	95.57
2021-22	48	03	29	16	50,992.06	48,540.27	95.19
			7	त्र्यय			
2019-20	62	07	42	13	38,272.98	21,153.13	55.27
2020-21	62	12	41	09	43,629.24	32,107.80	73.59
2021-22	62	11	46	05	50,640.06	45,079.86	89.02

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखा 2021-22 एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना।

मिलान और आँकड़ों का सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संबंध में विदित प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल लेखों में प्राप्तियों और व्यय की गलत बुिकंग होती है, बिल्क बजटीय प्रक्रिया के मूल उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती। व्यय की राशि का मिलान वर्ष 2020-21 में 73.59 प्रतिशत के सापेक्ष बढ़कर वर्ष 2021-22 में 89.02 प्रतिशत हो गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त ने अवगत कराया कि 2021-22 के दौरान महालेखाकार (ले. एवं ह.) के साथ प्राप्ति और व्यय के आंकड़ों के मिलान में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 से शत प्रतिशत मिलान के प्रयास किए जाएंगे।

4.12 नगद शेष राशि का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बहीखाते के अनुसार 31 मार्च 2022 का नगद शेष ₹ 112.47 करोड़ (डेबिट) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा ₹ 6.03 करोड़ (डेबिट) प्रतिवेदित था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वारा निकाले गए नगद शेष और आर बी आई द्वारा प्रतिवेदित नगद शेष के बीच ₹ 118.50 (डेबिट) करोड़ का निवल अंतर था। यह अंतर स्क्रॉल न मिलने आदि के कारण था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि मिलान के लिए मामला आर बी आई और कोषाध्यक्षों के पास विचाराधीन था।

4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के तीन लेखांकन मानक (आई जी ए एस) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखा मानकों का अनुपालन **तालिका4.-20** में विस्तृत है।

तालिका-4.20: लेखांकन मानकों का अनुपालन

豖.	लेखांकन	तालका-4.20. लखाक	सरकार द्वारा	
त्र. सं.	मानक	आई जी ए एस का सार	अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई जी ए एस:1- सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ	इस मानक के अर्न्तगत सरकार को अपने विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि के साथ-साथ वर्ष के अन्त में परिवर्धन, विलोपन, आह्वान, निर्वहन और बकाया का खुलासा करने की आवश्यकता है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 9 एवं 20)	राज्य सरकार द्वारा अधिकतम प्रतिभूति के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, प्रत्येक संस्थान के लिए प्रतिभूति की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः यह विवरण उस हद तक अपूर्ण है।
2.	आई जी ए एस:2- महायता- अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 10 एवं परिशिष्ट III)	राज्य सरकार विभिन्न उद्देश्यों और योजनाओं के लिए विभिन्न निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकार दिए गए सहायता-अनुदान का ब्योरा आई जी ए एस-2 की आवश्यकता के अनुसार वित्त लेखों के विवरण-10 और पिरिशिष्ट-III में दर्शाया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा द्वारा वस्तु के रूप में दी गयी सहायता-अनुदान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए आई जी ए एस-2 की अनुपालन उस हद तक पूरा नहीं हुआ है। वर्ष 20212-2 के दौरान राज्य ने ₹ 5,858.45 करोड़ की अनुदान राशि जारी की। ₹ 25.57 करोड़ का सहायता अनुदान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया, जो आई जी ए एस-2 के प्रावधानों का उल्लंघन था।
3.	आई जी ए एस3-: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	यह मानक पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मान्यता, मापन, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 7 एवं 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सीमा तक, वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, सिवाय ऋण, यदि कोई हो, जो नित्यता के लिए स्वीकृत किये गये थे।

4.14 स्वायत निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी पी सी अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/ प्रशासक, जनिहत में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकता है कि वह राज्य या संघ शासित प्रदेश के कानून द्वारा बनाए गए निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करे, जैसा भी मामला हो, और जहां इस तरह का अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखों का लेखा परीक्षण करेगा और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अलावा, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गयी है, वहाँ यदि उससे यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं, और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय के प्राधिकरण के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार (धारा 20) होगा।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरण के मामले में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है बशर्तें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हो। इस प्रकार, इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और इन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जमा करने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एस ए आर) जारी करता है जो लेखों पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का हिस्सा होती है। यह एस ए आर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

4.14.1 निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

प्राधिकरणों के लेखों के बकाया का ब्योरा तालिका4.-21 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.21: निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित हैं	2020-21 तक लंबित लेखों की संख्या
1.	उत्तराखंड जल संस्थान	2019-20	02
2.	उत्तराखंड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	2020-21	01
3.	क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2019-20	03

तालिका-4.21 से देखा जा सकता है कि इन तीन प्राधिकारणों के लेखे एक वर्ष से तीन वर्ष तक लंबित है।

4.15 निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अन्दानों/ऋणों का विवरण प्रस्त्त नहीं करना

ऐसे संस्थानों की पहचान करने हेतु, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा की जानी चाहिए, सरकार/विभागीय प्रमुखों को चाहिये कि वे ऐसे विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता दिये जाने के उद्देश्य तथा इन संस्थानों के द्वारा किये गये कुल व्यय की विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रति वर्ष उपलब्ध करायें। इसके अलावा, लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 यह प्रदान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, इस तरह के निकाय और प्राधिकरण का एक विवरण, जिन्हें अनुदान/या ऋण में ₹ 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया था, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी, और (ग) प्राधिकरण या निकाय का कुल व्यय प्रदर्शित हो।

हालांकि, सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लिए ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। सूचना का अप्रस्तुतिकरण लेखापरीक्षा और लेखा, (संशोधन) 2020 पर विनियमों का उल्लंघन था। वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 4 की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि 2021-22 के दौरान विभिन्न विभागों ने पूंजीगत संपत्ति के लिए सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 55) और वेतन के इतर सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 56) क्रमशः ₹ 706.10 करोड़ और ₹ 3,312.13 करोड़ दिया था।

4.16 समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता

20212-2 के दौरान सभी लेखा प्रतिपादन करने वाली संस्थाएँ (कोषागार, लोक निर्माण विभाग, वन प्रभाग और वेतन एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली), जो अपने मासिक लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सौंपती हैं, ने समय पर अपने लेखों को सौंप दिया था बहिष्करण का कोई प्रकरण नहीं था।

4.17 गबन, हानि, चोरी आदि

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-V, भाग-1, नियम 82 और परिशिष्ट XIX ब के प्रावधानों के अनुसार डी.डी.ओ. को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और (ले.एवं ह.) कार्यालयों को नुकसान के विवरण को सूचित करना चाहिए। वर्ष 2021-22 के दौरान डी.डी.ओ. द्वारा गबन, हानि, चोरी आदि का कोई प्रकरण सूचित नहीं किया गया।

4.18 राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अन्वर्ती कार्रवाई

राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके बनाए जाने से अब तक चर्चा नहीं की है।

4.19 निष्कर्ष

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2021 तक दिये गए ₹ 1390.09 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष 321 उपयोगिता प्रमाणपत्र (मार्च 2022 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2022 तक ₹ 27.33 करोड़ के 243 सार आकस्मिक बिल बकाया थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र और विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों और स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को जमा नहीं करने से निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। यह राज्य सरकार के आंतरिक नियंत्रण की कमी और अपूर्ण अनुश्रवण तंत्र को इंगित करता हैं।
- 2021-22 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति व व्यय का मिलान क्रमश: 95.19 और 89.02 प्रतिशत था। महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के आंकड़ों के साथ राज्य के मुख्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का मिलान न करना सरकार के भीतर कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की शुद्धता से संबंधित चिंताओं को बढ़ता है।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800- अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत व्यापक मात्रा में व्यय (₹ 1,343 करोड़) और प्राप्तियाँ (₹ 1,223.56 करोड़) दर्ज किया जाना वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों का संचालन वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं तथा व्यय की ग्णवत्ता के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट करता है।
- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है।

4.20 संस्तुतियाँ

- सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उन्हें जारी अनुदानों के सम्बन्ध में समय से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षारित आकस्मिक बिलों का प्रेषण करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- सरकार को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रण अधिकारी निर्धारित अंतराल पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपने व्यय के आँकड़ों का मिलान करें।

- राज्य सरकार को बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष 800 का संचालन हतोत्साहित करना चाहिए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श के बाद विशिष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए तािक समुचित लेखा शीर्ष में पहचान कर बहीखातों में ठीक प्रकार से लेन देन वर्गीकृत किया जा सके।
- > राज्य सरकार को वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य में भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।